

आदेश


निदेशालय के पत्र क्रमांक टीए/16/मिनिस्ट्रियल स्टाफ/तालमेल दिनांक 26.9.2007 द्वारा सभी उप कार्यालयों को सूचित किया गया था कि प्रधानाचार्य के अवकाश/दौरे के दौरान इन्चार्ज का कार्य कार्यालय हेतु उप अधीक्षक/सहायक को तथा प्रशिक्षण कार्य के लिये वरिष्ठ जी0आई0 को सौंप कर जाये, परन्तु प्रायः यह देखने में आया है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला के प्रधानाचार्य/इन्चार्ज द्वारा इन निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है। अतः राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला के प्रधानाचार्य/इन्चार्ज जब भी अवकाश/दौरे पर जाये तो प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य संस्थान में कार्यरत वरिष्ठ वर्ग अनुदेशक को तथा कार्यालय कार्य अधीक्षक/उप अधीक्षक को सौंप कर जाये। कोई भी प्रधानाचार्य/इन्चार्ज किसी संस्थान में सहायक/लिपिक के कार्यरत रहते हुये अधीक्षक/उप अधीक्षक को फाईलों का चार्ज लेने के आदेश पारित नहीं करेगा।

दिनांक: 17.3.2022

डा0 विरेन्द्र कुमार दहिया, आई0ए0एस0  
निदेशक,  
कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण,  
हरियाणा।

पू0 क्रमांक: स्थापना-1/एए3/टीई/146/ 4879 दिनांक: 24-3-22  
उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:

1. सभी प्रधानाचार्य/इन्चार्ज, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महिला, हरियाणा राज्य में।
2. सहायक निदेशक प्रशिक्षण
3. सहायक निदेशक स्थापना-11
4. सहायक निदेशक तालमेल
5. प्रधान, हरियाणा आई.टी.आई. मिनिस्ट्रियल स्टाफ एसोसियेशन, 117 बहादुरगढ़ /
6. नोडल अधिकारी बैवसाईट (विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु)

  
(बलबीर सिंह) 24/3/2022

सहायक निदेशक (स्थापना-1)  
कृते: निदेशक, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण  
हरियाणा, पंचकुला।

